

**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**  
**किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना**

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा –पोषक अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद,महेन्द्रगढ़, रोहतक, चरखी दादरी, रेवाड़ी तथा मेवात (10 जिलों) में क्लस्टर फ्रन्ट लाईन प्रदर्शन बाजरा पर किसानों को अनुदान दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 10-08-2024) तक कर सकते हैं।

क्लस्टर फ्रन्ट लाईन प्रदर्शन बाजरा पर रू0 2400/ एकड सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

**Cluster Front Line Demonstration on Bajra**

Tentative District wise physical & financial targets of Cluster Front line Demonstration on Bajra during Kharif-2024 (Assistance @ Rs. 2400/- per acre.)							
Sr. No.	Name of Districts	Total		General		SC	
		Phy (in acre)	Fin (Rs. in lakhs)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in lakhs)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in lakhs)
1	Bhiwani	3000	72.00	2400	57.60	600	14.40
2	Gurugram	2000	48.00	1600	38.40	400	9.60
3	Hisar	2500	60.00	2000	48.00	500	12.00
4	Jhajjar	2500	60.00	2000	48.00	500	12.00
5	Jind	2500	60.00	2000	48.00	500	12.00
6	M.Garh	3000	72.00	2400	57.60	600	14.40
7	Rewari	3000	72.00	2400	57.60	600	14.40
8	Mewat	2000	48.00	1600	38.40	400	9.60
9	Rohtak	2000	48.00	1600	38.40	400	9.60
10	C.Dadri	2500	60.00	2000	48.00	500	12.00
<b>Total</b>		<b>25000</b>	<b>600.00</b>	<b>20000</b>	<b>480.00</b>	<b>5000</b>	<b>120.00</b>

**विशेष दिशा निर्देश:-**

1. एक किसान को अधिकतम 5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the [link E-Agri Schemes Governance link](#) पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक](#) के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**  
**किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना**

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा –पोषक अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद,महेन्द्रगढ़, रोहतक, चरखी दादरी, रेवाड़ी तथा मेवात (10 जिलों) में क्लस्टर फ्रन्ट लाईन प्रदर्शन ज्वार पर किसानों को अनुदान दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 10-08-2024) तक कर सकते हैं।

क्लस्टर फ्रन्ट लाईन प्रदर्शन ज्वार पर रू0 2400/ एकड सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

**Cluster Front Line Demonstration on Jowar**

Tentative District wise physical & financial targets of Cluster Front line Demonstration on Jwar during Kharif-2024 (Assistance @ Rs. 2400/- per acre.)							
Sr. No.	Name of Districts	Total		General		SC	
		Phy (in acre)	Fin (Rs. in lakhs)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in lakhs)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in lakhs)
1	Bhiwani	450	10.80	360	8.64	90	2.16
2	Gurugram	450	10.80	360	8.64	90	2.16
3	Hisar	550	13.20	440	10.56	110	2.64
4	Jhajjar	400	9.60	320	7.68	80	1.92
5	Jind	400	9.60	320	7.68	80	1.92
6	M.Garh	350	8.40	280	6.72	70	1.68
7	Rewari	500	12.00	400	9.60	100	2.40
8	Mewat	800	19.20	640	15.36	160	3.84
9	Rohtak	900	21.60	720	17.28	180	4.32
10	C.Dadri	405	9.72	324	7.78	81	1.94
<b>Total</b>		<b>5205</b>	<b>124.92</b>	<b>4164</b>	<b>99.94</b>	<b>1041</b>	<b>24.98</b>

**विशेष दिशा निर्देश:-**

1. एक किसान को अधिकतम 5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**  
**किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना**

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा –पोषक अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, महेन्द्रगढ़, रोहतक, चरखी दादरी, रेवाड़ी तथा मेवात (10 जिलों) में बाजरा का बीज वितरण में संकर बाजरा बीज व अधिक उपज देने वाली किस्मों पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 10-08-2024) तक कर सकते हैं।

बाजरा का बीज वितरण में संकर बाजरा बीज व अधिक उपज देने वाली किस्मों पर रू0 10000/ क्विंटल सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

**Distribution of Seed :- (Hybrid Seed of – Bajra)**

Tentative District wise physical & financial target distribution of Hybrid Seed of Bajra nutritive varitey during Kharif-2024 (Assistance @ Rs. 10,000 per Qtl)							
Sr. No.	Name of Districts	Total		GEN		SC	
		Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in lakhs)	Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in lakhs)	Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in lakhs)
1	Bhiwani	350	35.00	280	28.00	70	7.00
2	C.Dadri	250	25.00	200	20.00	50	5.00
3	Gurugram	200	20.00	160	16.00	40	4.00
4	Hisar	350	35.00	280	28.00	70	7.00
5	Jhajjar	250	25.00	200	20.00	50	5.00
6	Jind	250	25.00	200	20.00	50	5.00
7	M.Garh	350	35.00	280	28.00	70	7.00
8	Rewari	350	35.00	280	28.00	70	7.00
9	Mewat	250	25.00	200	20.00	50	5.00
10	Rohtak	300	30.00	240	24.00	60	6.00
<b>Total</b>		<b>2900</b>	<b>290.00</b>	<b>2320</b>	<b>232.00</b>	<b>580</b>	<b>58.00</b>

**विशेष दिशा निर्देश:-**

1. एक किसान को अधिकतम 5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**  
**किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना**

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा –पोषक अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, महेन्द्रगढ़, रोहतक, चरखी दादरी, रेवाड़ी तथा मेवात (10 जिलों) में बाजरा का बीज वितरण में संकर ज्वार बीज व अधिक उपज देने वाली किस्मों पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 10-08-2024) तक कर सकते हैं।

ज्वार का बीज वितरण में संकर बाजरा बीज व अधिक उपज देने वाली किस्मों पर ₹0 10000 / क्विंटल सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति /30 प्रतिशत महिला किसान /33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

**Hybrid Seed – Jowar**

Tentative District wise physical & financial target distribution of Hybrid Seed of Jwar nutritive varitey during Kharif-2024 (Assistance @ Rs. 10,000/-Qtl)							
Sr. No.	Name of Districts	Total		GEN		SC	
		Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in lakhs)	Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in lakhs)	Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in lakhs)
1	Bhiwani	30	3.00	24	2.40	6	0.60
2	C.Dadri	25	2.50	20	2.00	5	0.50
3	Gurgaon	30	3.00	24	2.40	6	0.60
4	Hisar	30	3.00	24	2.40	6	0.60
5	Jhajjar	25	2.50	20	2.00	5	0.50
6	Jind	25	2.50	20	2.00	5	0.50
7	M.Garh	25	2.50	20	2.00	5	0.50
8	Rewari	30	3.00	24	2.40	6	0.60
9	Mewat	30	3.00	24	2.40	6	0.60
10	Rohtak	30	3.00	24	2.40	6	0.60
<b>Total</b>		<b>280</b>	<b>28.00</b>	<b>224</b>	<b>22.40</b>	<b>56</b>	<b>5.60</b>

**विशेष दिशा निर्देश:-**

1. एक किसान को अधिकतम 5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति /30 प्रतिशत महिला किसान /33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी / अर्ध सरकारी /सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी /खण्ड कृषि अधिकारी /उपमण्डल कृषि अधिकारी /उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**  
**किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना**

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा –पोषक अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, महेन्द्रगढ, रोहतक, चरखी दादरी, रेवाड़ी तथा मेवात (10 जिलों) में बाजरा का बीज वितरण पर संकर बाजरा में 10 वर्ष से कम की किस्मों पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 10-08-2024) तक कर सकते हैं।

बाजरा का बीज वितरण में **संकर बाजरा** में 10 वर्ष से कम की किस्मों पर रू0 3000/ क्विंटल सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

**Bajra HYVs Seeds Less than 10 year of old varieties**

Tentative District wise physical & financial target distribution of seed of hybrid, high yielding varieties less than 10 year of Bajra are as under during Kharif-2024(Rs. 3000 per Qtl)							
Sr. No.	Name of Districts	Total		GEN		SC	
		Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in lakhs)	Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in lakhs)	Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in lakhs)
1	Bhiwani	200	6.00	160	4.80	40	1.20
2	Gurugram	70	2.10	56	1.68	14	0.42
3	Hisar	100	3.00	80	2.40	20	0.60
4	Jhajjar	100	3.00	80	2.40	20	0.60
5	Jind	100	3.00	80	2.40	20	0.60
6	M.Garh	200	6.00	160	4.80	40	1.20
7	Rewari	200	6.00	160	4.80	40	1.20
8	Mewat	80	2.40	64	1.92	16	0.48
9	Rohtak	100	3.00	80	2.40	20	0.60
10	C.Dadri	100	3.00	80	2.40	20	0.60
<b>Total</b>		<b>1250</b>	<b>37.50</b>	<b>1000</b>	<b>30.00</b>	<b>250</b>	<b>7.50</b>

**विशेष दिशा निर्देश:-**

1. एक किसान को अधिकतम 5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी](#)/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**  
**किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना**

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा –पोषक अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, महेन्द्रगढ़, रोहतक, चरखी दादरी, रेवाड़ी तथा मेवात (10 जिलों) में बाजरा का बीज वितरण पर संकर बाजरा में 10 वर्ष से अधिक की किस्मों पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 10-08-2024) तक कर सकते हैं।

बाजरा का बीज वितरण में संकर बाजरा में 10 वर्ष से अधिक की किस्मों पर ₹0 1500/ क्विंटल सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

**Bajra HYVs Seeds More than 10 year of Old Varieties**

Tentative District wise physical & financial target distribution of seed of hybrid, high yielding varieties More than 10 year of Bajra are as under during Kharif-2024 (Rs. 1500 per Qtl)							
Sr. No.	Name of Districts	Total		GEN		SC	
		Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in lakhs)	Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in lakhs)	Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in lakhs)
1	Bhiwani	55	0.83	44	0.66	11	0.17
2	Gurugram	35	0.53	28	0.42	7	0.11
3	Hisar	39	0.59	31	0.47	8	0.12
4	Jhajjar	45	0.68	36	0.54	9	0.14
5	Jind	45	0.68	36	0.54	9	0.14
6	M.Garh	55	0.83	44	0.66	11	0.17
7	Rewari	65	0.98	52	0.78	13	0.20
8	Mewat	35	0.53	28	0.42	7	0.11
9	Rohtak	45	0.68	36	0.54	9	0.14
10	C.Dadri	45	0.68	36	0.54	9	0.14
<b>Total</b>		<b>464</b>	<b>6.96</b>	<b>371</b>	<b>5.57</b>	<b>93</b>	<b>1.39</b>

**विशेष दिशा निर्देश:-**

1. एक किसान को अधिकतम 5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी](#) /[उपमण्डल कृषि अधिकारी](#) /उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**  
**किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना**

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा –पोषक अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, नारनौल, रोहतक, चरखी दादरी, रेवाड़ी तथा मेवात (10 जिलों) में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन–सूक्ष्म तत्व पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 10-10-2024) कर सकते हैं।

एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन–सूक्ष्म तत्व पर रू0 200/ एकड सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

**Plant and Soil Protection Management (Micronutrient)**

Tentative District wise physical & financial target Integrated Micronutrient Management during Kharif-2024. (Assistance @ Rs. 200 per acre )							
Sr. No.	Name of Districts	Total		GEN		SC	
		Phy (in acre.)	Fin(Rs. in lakhs)	Phy (in acre.)	Fin(Rs. in lakhs)	Phy (in acre.)	Fin(Rs. in lakhs)
1	Bhiwani	3000	6.00	2400	4.8	600	1.20
2	Gurugram	1500	3.00	1200	2.4	300	0.60
3	Hisar	1500	3.00	1200	2.4	300	0.60
4	Jhajjar	2000	4.00	1600	3.2	400	0.80
5	Jind	2000	4.00	1600	3.2	400	0.80
6	M.Garh	3500	7.00	2800	5.6	700	1.40
7	Rewari	3500	7.00	2800	5.6	700	1.40
8	Mewat	1500	3.00	1200	2.4	300	0.60
9	Rohtak	2000	4.00	1600	3.2	400	0.80
10	C.Dadri	2000	4.00	1600	3.2	400	0.80
<b>Total</b>		<b>22500</b>	<b>45.00</b>	<b>18000</b>	<b>36.0</b>	<b>4500</b>	<b>9.00</b>

**विशेष दिशा निर्देश:-**

1. एक किसान को अधिकतम 5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक](#) के कार्यालय से सम्पर्क करें।

**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**  
**किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना**

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा –पोषक अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, नारनौल, रोहतक, चरखी दादरी, रेवाड़ी तथा मेवात (10 जिलों) में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन–जैव–उर्वरक पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 10-10-2024) कर सकते हैं।

एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन–जैव–उर्वरक पर रू0 120/ एकड़ सामान्य वर्ण/20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

**Integrated Micronutrient Management (INM) Bio-fertilizer**

District wise tentative physical & financial target of (INM) Bio-fertilizer during Kharif-2024 (Rs. 120 per acre.)							
Sr. No.	Name of Districts	Total		GEN		SC	
		Phy (in acre.)	Fin(Rs. in lakhs)	Phy (in acre.)	Fin(Rs. in lakhs)	Phy (in acre.)	Fin(Rs. in lakhs)
1	Bhiwani	3000	3.60	2400	2.88	600	0.72
2	Gurugram	1500	1.80	1200	1.44	300	0.36
3	Hisar	2000	2.40	1600	1.92	400	0.48
4	Jhajjar	2000	2.40	1600	1.92	400	0.48
5	Jind	3500	4.20	2800	3.36	700	0.84
6	M.Garh	3500	4.20	2800	3.36	700	0.84
7	Rewari	1500	1.80	1200	1.44	300	0.36
8	Mewat	2000	2.40	1600	1.92	400	0.48
9	Rohtak	1500	1.80	1200	1.44	300	0.36
10	C.Dadri	2000	2.40	1600	1.92	400	0.48
<b>Total</b>		<b>22500</b>	<b>27.00</b>	<b>18000</b>	<b>21.60</b>	<b>4500</b>	<b>5.40</b>

**विशेष दिशा निर्देश:-**

1. एक किसान को अधिकतम 5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक](#) के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा



**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**  
**किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना**

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा –पोषक अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, नारनौल, रोहतक, चरखी दादरी, रेवाड़ी तथा मेवात (10 जिलों) में एकीकृत कीट प्रबंधन–खरपतवार नाशी पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन ((दिनांक 10-10-2024) कर सकते हैं।

एकीकृत कीट प्रबंधन–खरपतवार नाशी पर रू0 200/ एकड सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

**Integrated Pest Management (IPM) (Weedicide)**

Tentative District wise physical & financial target of Integrated Pest Management (IPM) Weedicide during Kharif-2024 (Rs. 200 per acre.)							
Sr. No.	Name of Districts	Total		GEN		SC	
		Phy (in acre.)	Fin(Rs. in lakhs)	Phy (in acre.)	Fin(Rs. in lakhs)	Phy (in acre.)	Fin(Rs. in lakhs)
1	Bhiwani	10000	20.00	8000	16.00	2000	4.00
2	Gurugram	6000	12.00	4800	9.60	1200	2.40
3	Hisar	7000	14.00	5600	11.20	1400	2.80
4	Jhajjar	7000	14.00	5600	11.20	1400	2.80
5	Jind	7000	14.00	5600	11.20	1400	2.80
6	M.Garh	10000	20.00	8000	16.00	2000	4.00
7	Rewari	9000	18.00	7200	14.40	1800	3.60
8	Mewat	6000	12.00	4800	9.60	1200	2.40
9	Rohtak	6000	12.00	4800	9.60	1200	2.40
10	C.Dadri	7000	14.00	5600	11.20	1400	2.80
<b>Total</b>		<b>75000</b>	<b>150.00</b>	<b>60000</b>	<b>120.00</b>	<b>15000</b>	<b>30.00</b>

**विशेष दिशा निर्देश:-**

1. एक किसान को अधिकतम 5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the [link E-Agri Schemes Governance link](#) पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।](#)

**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**

**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**  
**किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना**

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा –पोषक अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, नारनौल, रोहतक, चरखी दादरी, रेवाड़ी तथा मेवात (10 जिलों) में एकीकृत कीट प्रबंधन-पौध संरक्षण रसायन व जैव-घटक पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 10-10-2024) कर सकते हैं।

एकीकृत कीट प्रबंधन- पौध संरक्षण रसायन व जैव-घटक पर ₹0 200/ एकड सामान्य वर्ग /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

**Plant Protection Chemical & Bio-agents**

<b>Tentative District wise physical &amp; financial target of Integrated Pest Management (IPM) Plant Protection Chemical &amp; Bio-agents during Kharif-2024 (Rs. 200 per hac.)</b>							
Sr. No.	Name of Districts	Total		GEN		SC	
		Phy (in acre.)	Fin(Rs. in lakhs)	Phy (in acre.)	Fin(Rs. in lakhs)	Phy (in acre.)	Fin(Rs. in lakhs)
1	Bhiwani	8750	17.50	7000	14.00	1750	3.50
2	Gurugram	6500	13.00	5200	10.40	1300	2.60
3	Hisar	6000	12.00	4800	9.60	1200	2.40
4	Jhajjar	6500	13.00	5200	10.40	1300	2.60
5	Jind	6500	13.00	5200	10.40	1300	2.60
6	M.Garh	9500	19.00	7600	15.20	1900	3.80
7	Rewari	9500	19.00	7600	15.20	1900	3.80
8	Mewat	5000	10.00	4000	8.00	1000	2.00
9	Rohtak	6000	12.00	4800	9.60	1200	2.40
10	C.Dadri	6000	12.00	4800	9.60	1200	2.40
<b>Total</b>		<b>70250</b>	<b>140.50</b>	<b>56200</b>	<b>112.40</b>	<b>14050</b>	<b>28.10</b>

**विशेष दिशा निर्देश:-**

1. एक किसान को अधिकतम 5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**  
**किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना**

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा –पोषक अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, नारनौल, रोहतक, चरखी दादरी, रेवाड़ी तथा मेवात (10 जिलों) में हस्त चालित स्प्रे पम्प (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, महिला किसान, छोटे और सीमांत किसान के लिए) पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 10-10-2024) कर सकते हैं।

हस्त चालित स्प्रे पम्प रू0 600/ युनिट (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, महिला किसान, छोटे और सीमांत किसान के लिए) किसानों के लिए उपलब्ध है।

**Farm Implement and Equipments-Manual Sprayers/Post harvest Management – for SC/ST, Women farmer, Small & Marginal farmer**

<b>Tentative District wise physical &amp; financial target of Manual Sprayer for SC ,Women Farmers, Small &amp; Marginal Farmers Farm Implements &amp; Equipments (Assistance @ 50% the cost or Rs. 600/- unit, whichever is less)</b>			
<b>Sr. No.</b>	<b>Name of Districts</b>	<b>Phy. Targets (in no.)</b>	<b>Fin. Targ (Rs. in lakhs)</b>
1	Bhiwani	70	0.42
2	Gurugram	40	0.24
3	Hisar	40	0.24
4	Jhajjar	50	0.30
5	Jind	50	0.30
6	M.Garh	60	0.36
7	Rewari	60	0.36
8	Mewat	40	0.24
9	Rohtak	50	0.30
10	C.Dadri	42	0.25
<b>Total</b>		<b>502</b>	<b>3.01</b>

**विशेष दिशा निर्देश:-**

1. एक किसान को अधिकतम 1 स्प्रे पम्प का लाभ दिया जाएगा।
2. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी/उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**  
**किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना**

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा –पोषक अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, नारनौल, रोहतक, चरखी दादरी, रेवाड़ी तथा मेवात (10 जिलों) में हस्त चालित स्प्रे पम्प (अन्य किसानों के लिए)पर अनुदान किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 10-10-2024) कर सकते हैं।

हस्त चालित व स्प्रे पम्प रू0 500/ युनिट सामान्य वर्ग के किसानों के लिए उपलब्ध है।

**Farm Implement and Equipments- Manual Sprayers/ Post Harvest Management –  
Other farmers**

<b>Tentative District wise physical &amp; financial target of Manual Sprayer/Post harvest Management for Other farmers (Rs. 500/Unit or 40% of cost whichever is less)</b>			
<b>Sr. No.</b>	<b>Name of Districts</b>	<b>Phy. Targets (in no.)</b>	<b>Fin. Targ (Rs. in lakhs)</b>
1	Bhiwani	80	0.40
2	Gurugram	50	0.25
3	Hisar	60	0.30
4	Jhajjar	60	0.30
5	Jind	50	0.25
6	M.Garh	50	0.25
7	Rewari	50	0.25
8	Mewat	50	0.25
9	Rohtak	70	0.35
10	C.Dadri	60	0.30
<b>Total</b>		<b>580</b>	<b>2.90</b>

**विशेष दिशा निर्देश:-**

1. एक किसान को अधिकतम 1 स्प्रे पम्प का लाभ दिया जाएगा।
2. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा